प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ::दिनांक: 06 अगस्त, 2014

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखाशीर्षक-2401-119-01-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के.75/रा.25-के.+रा.) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-14,73,04 हजार को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-107-08/बजट-आयोजनागत/2014-15, दिनांक: 17.07.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि कुल रूपये 32,99,72 हजार (रूपये बत्तीस करोड़ निन्यान्बे लाख बहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष '27-सब्सिडी' मद में मुख्य योजना के लिए पूर्व में शासनादेश संख्या-32/477/58-2-2014-300(14)/2014, दिनांक- 10 जून, 2014 के द्वारा 4/12 भाग के लेखानुदान हेतु अवमुक्त धनराशि रू0-2,61,88 हजार के क्रम में आपके द्वारा दिये गये प्रस्ताव के आधार पर धनराशि रू0-14,73,04 हजार (रूपया चौदह करोड़ तिहत्तर लाख चार हजार मात्र), जिसमें केन्द्रांश की धनराशि रू0-11,04,78 हजार एवं राज्यांश की धनराशि रू0-3,68,26 हजार सम्मिलित है, को निम्न विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने के निमित्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के मिशन निदेशक भी हैं, के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक/मद का नाम	कोड सं0/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15	पूर्व में मुख्य योजना हेतु 4/12 भाग के लिए अवमुक्त धनराशि	प्राविधान के सापेक्ष धनराशि में से मुख्य योजना के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि
10	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रांश आयेजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के075प्रतिशत/रा025 प्रतिशत - के0+रा0)	04-यात्रा व्यय	800		
		08-कार्यालय व्यय	1500		
		09-विद्युत देय	1000		
		11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4000		
		12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1500		
		13-टेलीफोन पर व्यय	800		
		15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3000		
		16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9000		
		18-प्रकाशन	700		
		27-सब्सिडी	285972	26188	147304
		29-अनुरक्षण	2500		
		42-अन्य व्यय	15000		
		44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	700		
		46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2500		
		47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1000		
		योग-	329972	26188	147304

(रूपये चौदह करोड़ तिहत्तर लाख चार हजार मात्र)

.....3/-

http://prasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने वाली मदों का पूर्ण विवरण स्वीकृत के प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त समिति की संस्तुति एवं संगत अभिलेखों सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव भी इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त संगत प्रस्तावों के मदवार विवरण एवं समस्त अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शासन की अनुमति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

(5) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-।।, दिनांक: 29 मई, 2012 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(6) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22/07/2014 में निर्दिष्ट बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22/07/2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 37/ 671 (1)/58-2-2014, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(7) नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

(8) गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://upasanadesh.up.nic.in